

30-7-13

30-7-13

राजस्थान न्यायालय  
विधि एवं विधिक प्रबंध विभाग

जयपुर, दिनांक

30 JUL 2013

क्रमांक प. 1(2) न्याय/2013

रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
राीघपुर ।

विषय:- फागी में स्थापित अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा चाकसू में स्थापित अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या -34 न्यायालय हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने के लिये।

संदर्भ:- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.7.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाओं दिनांक 18.7.2013 के द्वारा फागी में न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा चाकसू में न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या- 34 की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालयों हेतु निम्नलिखित अर्थाई पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.2.2014 तक सृजित करने की महामहिम राजस्थान महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2.	स्टेनोग्राफर	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3.	रीडर/वरिष्ठ लिपिक	2 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
4.	कनिष्ठ लिपिक	14 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 7-7 पद)
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	18 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 9-9)

उपरोक्त नवीन न्यायालयों हेतु प्रति न्यायालय नवीन आइटम्स हेतु निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	आइटम	राशि
1.	फर्नीचर हेतु	2.50 लाख
2.	टेलीफोन (02) हेतु	0.02 लाख
3.	कम्प्यूटर व प्रिन्टर (3) हेतु	1.86 लाख
कुल		4.38 लाख

उक्त न्यायालयों के लिए 8.76 लाख रुपये (अठार आठ लाख छहत्तर हजार रुपये मात्र) की राशि का ध्यान बजट हीर्ष 2014-न्याय प्रशासन, 106-सिविल और सेशन न्यायालय, (03)-मुसिफ एवं न्यायिक टिफिनरों के न्यायालय मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा। अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने पर अलग से औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त तकनीकी के साथ केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आयोजना सीमा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

Pre/1754  
30/7/13

1139  
31/7/13

यह शीकृति विस्त (व्यय -3) विभाग की आई ई संख्या 101302943 दिनांक 16.7.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

11/07/2013  
30/7/13  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखकार (लेख एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. वित्त व्यय-3/विस्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (शासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंक जयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

उप शासन सचिव


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)167/13/ 4026

दिनांक : 07/8/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर एवं जयपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
02. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारियों के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
06. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

ADD Gen Sec / Kas / SC / Budget  
3.7.13

Reg Admin  
30/7/13

राजस्थान न्यायालय  
उच्च न्यायालय का कार्यालय

3.0 JUL 2013

क्रमांक प. 1(2) न्याया. 2013

जयपुर, दिनांक

रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर ।

विषय: न्यायालय में स्थापित प्रस्तावित न्यायालय हेतु आवश्यक पद एवं पदों की स्वीकृति करने हेतु

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.7.2013

महोदय,

उपर्युक्त संख्यावाली इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.7.2013 के द्वारा न्यायालय में विभिन्न न्यायालय (न्यायाचार निवारण अधिनियम) की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालय हेतु निम्न विवरण अस्थाई पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 28.2.2014 तक सृजित करने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पद	संख्या
1.	सोडासीन ऑफिसर	1 पद
2.	स्टेनोग्राफर	1 पद
3.	रीडर	1 पद
4.	कनिष्ठ लिपिक	3 पद
5.	धतुर्ध अर्थात् जमानदार	4 पद

उपर्युक्त न्यायालय हेतु न्यायालय हेतु निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं	आइटम	राशि
1.	फर्निचर हेतु	2.60 लाख
2.	टेलीफोन से हेतु	2.00 लाख
3.	कम्प्यूटर प्रिन्टर (3) हेतु	1.98 लाख
कुल		4.38 लाख

उक्त न्यायालय के लिए 4.38 लाख रुपये (चार लाख अड़तीस हजार रुपये मात्र) की राशि का व्यय बजट सीधे 2014-15-व्यय प्रशासन, 105-सिविल और सेशन न्यायालय (105-सिविल और सेशन) के न्यायाधीशों के न्यायालय मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध कराए गए बजट के अन्तर्गत किया जाएगा ।

2/17/13  
17/13

अतिरिक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत होने के साथ ही सार्वजनिक के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे

समाधान के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव तकनीक के साथ अन्य प्रदर्शित योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आयोजना के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे ।

यह स्वीकृति पत्र (व्यय -5) संख्या 101302943 दिनांक 16.7.2013 द्वारा प्रमाण पत्रों के अनुसूची में दर्ज की जाती है।

भवदीय

*Prakash Singh*  
30/7/13  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आदरपूर्वक कार्यवही हेतु प्रेषित है :-

1. महासंचालक (सिवा एवं हक), राजस्थान, जयपुर
2. दि. 10/7/13 दि. 10/7/13 बजट विभाग
3. सचिव, राजस्थान, राजस्थान, जयपुर वैंच जयपुर
4. सचिव, जयपुर

उप शासन सचिव


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)168/13/ 4027

दिनांक : 07/08/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा एवं विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
02. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारियों के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
06. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

30713

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधि सेवा विभाग

जयपुर, दिनांक 30 JUL 2013

क्रमांक प (2) नं० 2013

रजिस्ट्रार जनरल  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
जोधपुर

दिनांक: राजस्थान, काजी सामान्य एवं चोदू ने स्थापित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृति करने यावत् ।

संदर्भ:- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.7.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस दिनांक की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.7.2013 के द्वारा राजस्थान, काजी सामान्य एवं चोदू ने अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालयों हेतु निम्नलिखित आरक्षित पद, पद भरे जाने की तिथि से दिनांक 23.2.2014 तक सृजित करने की महानिदेश राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	पद	संख्या
1.	पीठाराम अधिकारी	4 पदों के न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2.	स्टेनाधावर	4 पदों के न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3.	सीनियर राइट	4 पदों के न्यायालय हेतु 1-1 पद)
4.	कनिष्ठ लिपिक	28 पदों के न्यायालय हेतु 7-7 पद)
5.	चतुर्थ श्रेणी जर्नलर	40 पदों के न्यायालय हेतु 10-10 पद)

उपरोक्त न्यायालयों हेतु प्रति न्यायालय स्थापना आइटम्स हेतु निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	कनिष्ठ राइट हेतु	2.52 लाख
2.	टेलीफोन लाइन हेतु	0.22 लाख
3.	कम्प्यूटर व लिन्टर (3) हेतु	1.36 लाख
कुल		4.10 लाख

उक्त न्यायालयों के लिए 17.52 लाख रुपये (सत्रह लाख बावन हजार रुपये मात्र) की राशि का बजट शीर्ष 2013-14 के प्रशासन, 105-सिविल और सेशन न्यायालय, 01-जिला और अतिरिक्त जिला न्यायालयों के न्यायालय मद में से वित्तीय वर्ष 2013-14 के उपरोक्त बजट प्रावधान के अन्तर्गत आवंटित जायेगा। अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता: इन नए अल्प संख्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से उक्त न्यायालयों के साथ अन्य आवश्यकताओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आयोजना के लिए उक्त न्यायालयों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

11754  
6/7/13

यह रदीकृत विवरण (बजट -5) विभाग का संख्या 101302943 दिनांक 16.7.2013  
द्वारा प्राप्त सहयोग के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय  
20/9/13  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (वेतन एवं भत्तों) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. विवरण बजट-5, विवरण बजट विभाग
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बेंच जयपुर
4. रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उप शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)169/13/ 4028

दिनांक : 07/8/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा, धौलपुर, जयपुर महानगर एवं जयपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
02. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारियों के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
06. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)



AGD Law Sec. Jaipur / 1956 / S.C. / Budget  
30-7-13

Reg. Admn.

30-7-13

विधि एवं विधि सहायक विभाग

क्रमांक प. 12/2013

जायपुर, दिनांक

30 JUL 2013

रजिस्ट्रार जनरल,  
राजस्थान उच्च न्यायालय  
जोधपुर

विषय - राजस्थान में स्थापित न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायाधिक नजिस्ट्रेट संख्या-2 व बाडी में स्थापित न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायाधिक नजिस्ट्रेट संख्या-3 तथा सांगानेर एवं चौमू में स्थापित न्यायालयों अपर सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य महानगर नजिस्ट्रेट हेतु आवश्यक पदों की स्वीकृत करने संबंधित।

संदर्भ - इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.7.2013

महोदय,

संदर्भित अधिसूचनागत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाओं दिनांक 18.7.2013 के द्वारा राजस्थान में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायाधिक नजिस्ट्रेट संख्या-2 व बाडी में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायाधिक नजिस्ट्रेट संख्या-3 तथा सांगानेर में अपर सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य महानगर नजिस्ट्रेट संख्या-3 व चौमू में अपर सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य महानगर नजिस्ट्रेट संख्या-22 की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालयों हेतु निम्नलिखित उस्थाई पदों पर परीक्षाएं जल्द ही तिथि से दिनांक 28.2.2014 तक सृजित करने की महत्वपूर्ण शर्तों पर महोदय की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	पद	आवक संख्या
1.	पोस्टासेल अधिकारी	3000 प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2.	स्टेनोग्राफर	3000 प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद )
3.	रीडर, सिविल न्यायाधिक	3000 प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
4.	कनिष्ठ लिपिक	2800 प्रत्येक न्यायालय हेतु 7-7 पद)
5.	चतुर्थ अर्थात् कर्मचारी	2800 प्रत्येक न्यायालय हेतु 9-9)

उपरोक्त नवीन न्यायालय हेतु प्रति न्यायालय नवीन आइटम्स हेतु निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की जाती है -

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	कर्मचारी हेतु	2.50 करोड़
2.	टेलीफोन पद हेतु	0.02 करोड़
3.	कम्यूटर व प्रिन्टर हेतु	1.00 करोड़

कुल 4.52 करोड़

File/1754  
30/7/13

उपरोक्त आयोग द्वारा दिनांक 17.5.2013 को जारी संज्ञक लाख बावन हजार रूपये मात्र) का शीर्षक का बजट राशि का प्रसारण, 105-सिविल और सेशन न्यायालय 02-अदालत तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों के न्यायालय मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्धता के अन्तर्गत किया जायेगा। अतिरिक्त प्रस्ताव की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त अधिवक्ता के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

न्यायालय भवन के निर्माण के लिए न्यायालय उपलब्धता होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रावधान के साथ अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आयोजना सीमा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह स्वीकृति दिनांक (व्यय -5) दिनांक 30/7/13 संख्या 101302943 दिनांक 16/7/2013 द्वारा प्राप्त सहयोग के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

30/7/13  
30/7/13

मुख्य शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाधर (सेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर
2. दिनांक व्यय-5 दिनांक बजट विभाग
3. रजिस्ट्रार प्रशासन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैच जयपुर
4. रक्षित न्यायालय

उप शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)170/13/ 4029

दिनांक : 07/8/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा, धौलपुर, जयपुर महानगर एवं जयपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
02. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारियों के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
05. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
06. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।



रजिस्ट्रार (प्रशासन)

36-713

36-713

राजस्थान सरकार  
निधि एवं निर्यात विभाग

क्रमांक प. 2/2013

जयपुर, दिनांक 30 JUL 2013

रजिस्ट्रार जनरल  
राजस्थान सरकार  
जोधपुर ।

विवरण - राजस्थान राज्य कोर्टों में एन.डी.पी.एस. न्यायालयों हेतु  
आवश्यक पद एवं वेतन का विवरण संलग्न है।

संदर्भ - इस विभाग की समसंख्यक अविज्ञात दिनांक 18.7.2013

महोदय,

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संख्या-2/2013 दिनांक 28.2.2014 के द्वारा राजस्थान न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) संख्या-2 तथा कोर्ट में निर्यात न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) की स्थापना की गई है। उक्त न्यायालयों हेतु निम्नलिखित अर्थव्यय प्रदान करने की तिथि से दिनांक 28.2.2014 तक आवंटन करने की महसूलवार प्रस्ताव महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	नाम पद	वेतन की संख्या
1.	पीठकीय अधिकारी	2 पद प्रत्येक न्यायालय हेतु (1-1 पद)
2.	संलग्न अधिकारी	2 पद प्रत्येक न्यायालय हेतु (1-1 पद)
3.	सीनियर क्लर्क	2 पद प्रत्येक न्यायालय हेतु (1-1 पद)
4.	कमिश्न लिपिक	6 पद प्रत्येक न्यायालय हेतु (3-3 पद)
5.	बहुमूल्य क्लर्क/लिपिकारी	6 पद प्रत्येक न्यायालय हेतु (3-3)

उक्त न्यायालयों हेतु मांगी गई कुल मधीन आइटम्स हेतु निम्न प्रकार राशि स्वीकृत की जाती है -

क्र.सं.	आइटम	राशि
1.	जन्य खर्च हेतु	2100000
2.	वेतनीय खर्च हेतु	1000000
3.	कार्यालय व प्रिन्टर (3) हेतु	1500000

कुल 4600000

उक्त न्यायालयों की लिए 8.76 लाख रुपये (आठ लाख छहतर हजार रुपये मात्र) की राशि का अर्थ बजट शीर्ष 20-01 (राज्य सरकार) - 105-सिविल और सोशल्स न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) के अंतर्गत राज्य न्यायालय में से वित्तीय वर्ष 2013-14 के तहत-40 अर्थ प्रवधान का प्रयोग किया जायेगा। अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

no/1754  
30/7/13

न्यायालय सृजन के निर्माण के लिए सृजनात्मक उपलब्धता होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा राजस्थान के राजस्थान प्रशासन के अन्तर्गत अतिरिक्त आयोजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह संचालन वि.सं. (अध-5) दिनांक 10/7/2013 दिनांक 101302943 दिनांक 16.7.2013 द्वारा प्रशासन संचालन के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती है।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक (लिपिक एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. वि.सं. अध-5, चित्तौड़गढ़ विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी (बजट) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।

उप शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)171/13/ 4030

दिनांक : 07/8/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ एवं कोटा तथा विशिष्ट न्यायालय, एनडीपीएस प्रकरण संख्या-2 चित्तौड़गढ़ एवं कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
02. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारियों के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)